

प्रार्थीगण

सुखाराम पुत्र भीखाराम
 सुखाराम पुत्र भीखाराम
 सुखाराम पुत्र भीखाराम
 सुखाराम पुत्र भीखाराम
 जाति माली नि. पादरड़ी, त.
 चितलवाना जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. छोगाराम पुत्र विरधाराम
2. कालाराम पुत्र पोकराराम
जाति माली नि. पादरड़ी, त.
चितलवाना जालोर
3. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार चितलवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

विषय:-

1. श्री जालाराम पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय।
3. नायब तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक 12/6/18

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा पादरड़ी, पटवार हल्का दूठवा में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व पत्थरगढ़ी हकहकुक कब्जाकाष्ठ के खेत खसरा नम्बर 181/309 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 201/310 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नक्शा प्रदर्श "अ" में लाल स्याही से चिन्हित अनुसार स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थरगढ़ी चीणों से करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस रजिस्टर्ड तामिल होकर प्राप्त हुए, परन्तु रजिस्टर्ड तामिल प्राप्त होने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हाजिर न्यायालय नहीं होने से अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 ने राज पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत की पत्थरगढ़ी की जाती है तो सरकार के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से पत्थरगढ़ी की जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पादरड़ी, पटवार हल्का दूठवा के खेत खसरा नम्बर 181/309 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 201/310 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि में तहसीलदार पत्थरगढ़ी कर पालना से अवगत करावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12/6/18 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

